नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Rajdhani - 19 Aug 2025 - 19raj6
epaper.navabharat.news

कोर्ट में पेश नहीं हुए तोमर बंधु अब होगी कुर्की की कार्रवाई

दोनों हिस्ट्रीशीटरों की ओर से लगी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका

सूदखोरी-ब्लैकमेल, धमकी जैसे 7 मामले दर्ज हैं आरोपियों के खिलाफ

नवभारत ब्यूरो । रायपुर।

ढाई महीने से फरार हिस्ट्रीशीटर बंधु वीरेन्द्र सिंह तोमर एवं रोहित सिंह तोमर न्यायालय के आदेश के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। सोमवार 18 अगस्त तक उन्हें उपस्थित होने के निर्देश जारी किए गए थे। पुलिस के प्रतिवेदन पर कोर्ट द्वारा आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश कलेक्टर को दिया गया है, जिस पर अब कार्रवाई शुरू करने के संकेत मिले हैं। इधर फरार आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई है, जिस पर सुनवाई होनी है।

चार भूखंडों की सूची सौंपी गई है कोर्ट को - पुलिस ने फरार तोमर बंधुओं के परिवार की 11 संपत्तियों का पता लगाया है। इनमें से चार भूखंड दोनों आरोपियों के नाम पर हैं। पुलिस ने इन्हीं जमीनों को कुर्क करने का आवेदन दिया था। जिस पर कोर्ट द्वारा कलेक्टर को आदेश जारी किए गए थे। साथ ही फरार आरोपियों को 18 अगस्त तक कोर्ट में प्रस्तुत होने के निर्देश दिए गए थे। इस बीच आरोपियों ने लोवर कोर्ट और सेशन कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे निरस्त किया जा चुका है। इधर टीआई पुरानीबस्ती योगेश कश्यप ने कहा कि केस से जुड़े दोनों मुख्य आरोपियों के अलावा कई और सहयोगी फरार हैं। उनकी भी तलाश की जा रही है।

तीन राज्यों में छापे, पांच गाड़ियां भी की जा चुकी जब्त

पुरानीबस्ती पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सात आपराधिक मामले ढाई महीने में दर्ज किए हैं। जबकि पूर्व प्रकरणों में आरोपी जमानत पर भी है। जमानत के दौरान आरोपियों द्वारा सूदखोरी, धमकी-चमकी करके गई गुना रकम वसूली और ब्लैकमेल का खुलासा होने पर पुलिस ने संगठित अपराध की भी धाराएं लगाई हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी में मदद करने वालों को 5-5 हजार रुपए का ईनाम भी एसएसपी ने घोषित किया है। इनकी तलाश में पुलिस टीमों ने छत्तीसगढ़ के अलावा मप्र और उप्र के भी कई शहरों में छापेमारी की लेकिन आरोपी गिरफ्त में नहीं आए। इनकी पांच कारें भी सीज की गई हैं। इधर खबर है कि आरोपियों की ओर से अधिवक्ता ने कुर्की की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। कोर्ट को बताया गया है कि आरोपियों की अग्रिम जमानत पर सुनवाई लंबित है। इसलिए जमानत पर सुनवाई से पहले किसी को फरार नहीं कहा जा सकता है। हालांकि कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला कलेक्टर द्वारा लिया जाना है।

कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं

आरोपियों के कोर्ट में उपस्थित होने की सूचना पुलिस को नहीं मिली है। तोमर बंधुओं की संपत्ति कुर्क करने पुलिस के आवेदन पर कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर को इस संबंध में आदेश कोर्ट ने प्रेषित किया है।

राजेश देवांगन सीएसपी
पुरानीबस्ती रायपुर।